

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 377]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 4 जुलाई 2018—आषाढ़ 13, शक 1940

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2018

क्र. डी-15-37-2018-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, व्यापार तथा खाद्य विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक 145/13, दिनांक 9 जून, 1953 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति नागदा, जिला उज्जैन के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान या परिक्षेत्र को नवीन अतिरिक्त मंडी प्रांगण घोषित करती है:—

### स्थान

नगरपालिका नागदा (ग्राम पाल्याकला), तहसील नागदा, जिला उज्जैन के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 5.153 हेक्टर भूमि का क्षेत्र:—

क्रमांक (1)	खसरा क्रमांक (2)	क्षेत्रफल (हेक्टर में) (3)
1	812/3, रकबा 0.442	0.221
2	814/2, रकबा 0.222	0.111
3	815/1, रकबा 0.261	0.130
4	812/1, रकबा 1.912	1.712
5	813, रकबा 0.125	0.125
6	815/2, रकबा 0.606	0.606
7	816, रकबा 0.648	0.648
8	760, रकबा 1.338	1.338
9	812/1-2, रकबा 0.100	0.100
10	812/1-3, रकबा 0.100	0.100
11	820/3, रकबा 0.230	0.042
12	821, रकबा 0.324	0.020
कुल योग		5.153

### जिसकी सीमाएं

उत्तर में—शासकीय भूमि.

दक्षिण में—मांगी लाल पिता जीवन लाल की भूमि.

पूर्व में—महेश कुमार पिता मदन लाल की भूमि.

पश्चिम में—सुरेश पिता कचरू लाल की भूमि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उपेन्द्रनाथ शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2018

क्र. डी-15-37-2018-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 जुलाई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उपेन्द्रनाथ शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 4<sup>th</sup> July 2018

No. D-15-37-2018-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declare the following areas including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Nagda has been established by this department's Notification No. 145/13, dated 09th June 1953 shall be New additional market yard, namely:—

#### PLACE

An area of 5.153 Hectars land of below Mentioned Khasra number at Nager palika Nagda (gram Palyakala) in Tehsil Nagda of District Ujjain:—

S. No. (1)	Survey No. & Area (2)	Area (In Hector's) (3)
1	812/3, Rakba, 0.442	0.221
2	814/2, Aera, 0.222	0.111
3	815/1, Area, 0.261	0.130
4	812/1, Area, 1.912	1.712
5	813, Area, 0.125	0.125
6	815/2, Area, 0.606	0.606
7	816, Area, 0.648	0.648
8	760, Area, 1.338	1.338
9	812/1-2, Area, 0.100	0.100
10	812/1-3, Aera, 0.100	0.100
11	820/3, Aera, 0.230	0.042
12	821, Area, 0.324	0.020
Total . .		5.153

#### BOUNDED BY

**On the North by**—Government Land.

**On the South by**—Land of Mangilal S/o Jeevan Lal.

**On the East by**—Land of Mahesh Kumar S/o Madan Lal.

**On the west by**—Land of Suresh S/o Kchru Lal.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.  
UPENDRANATH SHARMA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2018

क्र. डी-15-37-2018-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 4 जुलाई 2018 के द्वारा घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी समिति नागदा, जिला उज्जैन के निम्नलिखित क्षेत्र को नवीन अतिरिक्त मंडी प्रांगण घोषित करती हैः—

### क्षेत्र

- (1) नगरपालिका नागदा (ग्राम पाल्याकला), तहसील नागदा, जिला उज्जैन की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र।
- (2) मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्रः—  
 1. रुपेटा, 2. भडला, 3. बनबनी, 4. रोहलखुर्द, 5. रोहलकला, 6. बछोडा, 7. निम्बोदियाकला, 8. झाँझाखेड़ी, 9. रत्नीयाखेड़ी, 10. जलोदिया, 11. खजुरिया, 12. अलसी-कलसी, 13. निपानिया, 14. जुना नागदा, 15. मेहतवास, 16. टकरावदा, 17. भाटीसुड़ा, 18. अमलावदिया, 19. पारदी, 20. निम्बोदियाखुर्द, 21. मकला, 22. हथैई पालकी, 23. डाबरी, 24. बनबना, 25. मोहिना, 26. पाल्याकला।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उपेन्द्रनाथ शर्मा, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2018

क्र. डी-15-37-2018-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 जुलाई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उपेन्द्रनाथ शर्मा, उपसचिव।

Bhopal, the 4<sup>th</sup> July 2018

No. D-15-37-2018-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declare that in the relation to the market yard *vide* this department notification even number dated 4th July 2018 the following area of Nagda of District Ujjain shall be New Additional market yard, namely:—

### AREA

- (1) An area within the limit of Nagar Palica Nagda (Gram Palayakala) in Tehsil Nagda of District Ujjain.
- (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the market yard, namely:—  
 1. Rupeta, 2. Bhadla, 3. Banbani, 4. Rohalkhurd, 5. Rohalkala, 6. Bachoda, 7. Nibodiya kala, 8. Jhanjhakhadi, 9. Ratniyakhedi, 10. Jalodiya, 11. Khajuriya, 12. Alsi-Kalsi, 13. Nipaniya, 14. Jun nagda, 15. Mehatwas, 16. Takravada, 17. Bhatisuda, 18. Amlavadiya, 19. Pardi, 20. Nimbodiyakhurd, 21. Makla, 22. Hathaipalki, 23. Daabri, 24. Banbana, 25. Mohina, 26. Palayakala.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
UPENDRANATH SHARMA, Dy. Secy.